गए। मिथिला की स्त्रियां चुहलबाजी करते हुए गाती हैं- जुआ खेल कुंवर बड़े आज बाजी लगाइके....।

देखा था। मिथिला की स्त्रिया गाती हैं- आज मिथिला नगरिया

दूसरे दिन त्रेतायुग के राम-जानकी विवाह का यह दृश्य जीवंत हुआ।

हमारा संविधान ही सुप्रीम है : पीके शाही

संविधान दिवस : पटना हाईकोर्ट और स्कूल-कॉलेज में कई कार्यक्रम हुए

लीगल रिपोर्टर | पटना

बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो बदलते समय के साथ सरकार के तीनों अंग- विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच निरंतर संतुलन और सामंजस्य स्थापित करता है। समकालीन वैश्विक थपेड़ों और सूचना क्रांति के दौर में भी हमारा संविधान विविधताओं से भरे इस देश को एकता की सूत्र में पिरोए हुए है। इसलिए भारत में यदि कोई सुप्रीम है तो वह केवल हमारा संविधान है। वे पटना हाईकोर्ट स्थित महाधिवक्ता कार्यालय के सभागार में बुधवार को संविधान दिवस पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संविधान निर्माता डॉ बीआर अंबेडकर, संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद के योगदान की भी चर्चा की। कहा हमें गर्व है कि हम लोग बिहारी हैं, जहां से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था। वहीं, अपर महाधिवक्ता पीके वर्मा ने संविधान की महत्ता पर प्रकाश डाला। सरकारी वकील सुनील कुमार मंडल ने संविधान के आयामों के बारे में बताया। वरीय अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद सिंह सहित अन्य वकील उपस्थित थे।

उधर, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान के संदेश के साथ संविधान दिवस पर बुधवार को जेडी वीमेंस कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग में "राष्ट्र निर्माण में संविधान की भूमिका" विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता चाणक्य विधि विवि के कुलानुशासक व समाज विज्ञान संकाय के डीन प्रो. डॉ. एसपी सिंह थे। कॉलेज की प्राचार्य प्रो. मीरा कुमारी ने संविधान दिवस के महत्व पर चर्चा की। विभागाध्यक्ष प्रो. इरा यादव ने मुख्य अतिथि का परिचय कराया। प्रो. सिंह ने बताया कि भारतीय संविधान जनता को सर्वोपरि मानता है। जनता मालिक होती है और सरकार का कर्तव्य है कि वह उनके अधिकारों की रक्षा करे। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस हमें लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाता है।संचालन डॉ. अंशिका गुप्ता और धन्यवाद ज्ञापन पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. पूनम कुमारी ने किया। कॉलेज की कई छात्राएं और शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।

पटना हाईकोर्ट स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में महाधिवक्ता पी के शाही ने संविधान दिवस समारोह में अपने विचार रखे।

शिक्षण संस्थानों में जागरुकता, संवाद व प्रतियोगिता के जरिए दी गई संविधान की जानकारी

पटना| पटना के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में संविधान दिवस पर क्विज प्रतियोगिता, परिचर्चा, पोस्टर प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीयू के इतिहास विभाग में विभागाध्यक्ष डॉ. दीप्ति तिवारी की अध्यक्षता में क्विज प्रतियोगिता हुई। डॉ. आंबेडकर चेयर और पटना ट्रेनिंग कॉलेज में भी विशेष व्याख्यान हुआ, जिसमें कुलपति प्रो. नामिता सिंह, प्रो. मो. शफी, प्रो. खगेंद्र कुमार मौजूद थे। इधर, एएन कॉलेज के स्नातकोत्तर लोक प्रशासन विभाग की ओर से परिचर्चा और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. कविता राज और डॉ. संजय कुमार सिंह सहित विद्यार्थियों ने संविधान के महत्व पर विचार रखे। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में विधि जागरुकता अभियान का आयोजन हुआ। डॉ. पल्लवी, कुलपति प्रो. रवींद्र कुमार ने संविधान पर चर्चा की। अरविंद महिला कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग और एनएसएस इकाइयों के सहयोग से प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का सामूहिक पाठ किया गया। पटना वीमेंस कॉलेज में संवैधानिक जागरुकता, नैतिक नागरिकता और अकादमिक संवाद हुआ।

संविधान के सिद्धांतों को अपने कार्य और जीवन में अपनाएं : छत्रसाल सिंह

पटना|पूर्व मध्य रेल में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह के नेतृत्व में हाजीपुर स्थित प्रांगण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। उन्होंने कर्मचारियों को संविधान के सिद्धांतों को अपने कार्य और जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। दानापुर, धनबाद, सोनपुर और समस्तीपुर सहित पूर्व मध्य रेल के पांचों मंडलो, यूनिटों, कारखानों में कार्यक्रम हुआ।

नवंबर तक हरियाणा के सोनीपत में होगी राष्ट्रीय प्रतियोगिता

भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज : पीके शाही

- महाधिवक्ता ने गोष्ठी को संबोधित किया
- बोले-संविधान एकता के सूत्र में देश को बांधे हुए है

पटना, विधि संवाददाता। देश का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो बदलते समय के साथ सरकार के तीनों अंग विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच निरंतर संतुलन और सामंजस्य स्थापित करते रहता है। हर तरह के दौर में भी हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। देश में यदि कोई सुप्रीम है तो वह संविधान है।

ये बातें बुधवार को संविधान दिवस पर पटना हाईकोर्ट परिसर में महाधिवक्ता पीके शाही ने सरकारी वकील एवं उनके सहायक अधिवक्ताओं की ओर से आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि प्रबुद्धजनों की यह धारणा बिल्कुल गलत है कि देश का संविधान, दूसरे देशों के विधानों से इकट्ठा किए गए कानूनी प्रावधानों का महज दस्तावेज है। संविधान का निर्माण करने से पहले इसके एक- एक शब्द पर टॉपिक की तरह विमर्श किया गया।

संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा एवं सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद को नमन करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हम लोग बिहारी हैं। यहीं से गांधी ने आजादी की लड़ाई के लिए सत्याग्रह शुरू किया था। संविधान लेखन समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीम राव आंबेडकर को

हाईकोर्ट परिसर में बुधवार को महाधिवक्ता पीके शाही का स्वागत करते अधिवक्ता।

नमन करते हुए कहा कि इस संविधान की आत्मा न्यायपालिका की स्वतंत्रता में है। गोष्ठी में वरीय अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद सिंह, अपार महाधिवक्ता पीके वर्मा, सरकारी वकील सुनील कुमार मंडल ने विचार रखें। सरोज कुमार शर्मा ने मंच का संचालन किया। वहीं डॉ आनंद ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

दिवस पर संस्थानों में कई कार्यक्रम हुए   दानापुर मंडल व

में शुक्रवार को बारी सारण की है। मंडल के साथ राष्ट्रीय प्रधान   पांच से नौ दिसंबर तक दूसरे चरण की बारी है। पिछले दिनों   तेजस्वी के अलावा राजद के नाम-पहचान का उल्लेख हुआ है।

संविधान एक जीवंत दस्तावेज : पीके शाही

विधि संवाददाता, जागरण • पटना: संविधान दिवस के अवसर पर पटना हाई कोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो बदलते समय में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने में निरंतर मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि सूचना क्रांति और वैश्विक चुनौतियों के दौर में भी संविधान देश की विविधताओं को एक सूत्र में पिरोकर रखे हुए है। भारत में यदि कोई सुप्रीम है तो वह केवल संविधान है। उन्होंने जोर देकर कहा।

शाही ने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि

हाई कोर्ट परिसर में समारोह को संबोधित करते महाधिवक्ता पीके शाही। • जागरण

यह धारणा बिल्कुल भ्रमपूर्ण है कि भारतीय संविधान विभिन्न देशों के कानूनी प्रविधानों का मिश्रित दस्तावेज मात्र है। उन्होंने बताया कि संविधान सभा की विस्तृत बहसों और उपनिवेशीय काल के बाद उभरते भारत की जटिलताओं को समझते हुए प्रत्येक प्रविधान को गहन अध्ययन और विमर्श के बाद तैयार किया गया। यूरोपीय और अमेरिकी माडल का विश्लेषण कर केवल वे ही प्रविधान अपनाए गए जो भारतीय समाज और संस्कृति के अनुकूल थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंहा और अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद को स्मरण करते हुए शाही ने बिहार की गौरवशाली भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही संविधान की आत्मा है, जो इसे समय के अनुरूप जीवंत बनाती है। गोष्ठी में वरीय अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद सिंह, अपर महाधिवक्ता पी.के. वर्मा, सरकारी वकील सुनील कुमार मंडल और सरोज शर्मा उपस्थित थे।